<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टी ए/70/2004/अलवर</u>

जंगी सिंह पुत्र पीरू सिंह जाति सिकलीगर निवासी ग्राम चोरबसई तहसील किशनगढवास जिला अलवर

अपीलार्थी

बनाम

1. शादी पुत्र मोजा
2. सुभान खां पुत्र मोजा
3. असलूखां पुत्र मोजा

सभी जाति मेव निवासी ग्राम चोरबसई तहसील किशनगढवास जिला अलवर

प्रत्यर्थीगण

<u>खण्ड पीठ</u>

श्री शिखर अग्रवाल सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

<u>उपस्थित</u>

श्री जे.के.पारीक अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अयूब खान अभिभाषक प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

दिनांकः14.1.2020

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 8–4–2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वादी ने प्रत्यर्थी प्रतिवादीगण के विरूद्ध सहायक कलेक्टर किशनगढवास के न्यायालय में एक वाद दखयाबी आराजी

व हुक्मइम्तनाई दवामी का वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा पेश होने के बाद दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अनुतोष सहित कुल पांच तनकीयात कायम की और बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 30–4–2002 से वाद को आंशिक रूप से डिक्री कर आराजी खसरा नम्बर 229 रकबा 9विस्वा व खसरा नम्बर 469 रकबा 2 विस्वा ग्राम चोरबसई तहसील किशनगढ वास का दखल प्रतिवादीगण ने वादी को दिलाये जाने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 8–4–2003 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी को आवंटन की जाकर सन 1977 में अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रदान की गई एवंअपीलार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार दर्ज है। जिसको अपीलार्थी नेअपनी बीमारी के कारण प्रत्यर्थी को बांटे पर देकर जयपुर चला गया था। इससे प्रत्यर्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को कभी भूमि का विक्रय नहीं किया जो विक्रय पत्र प्रत्यर्थी बताते हैं वह फर्जी है क्योंकि विक्रय पत्र साबित नहीं है, विक्रय की आड में नामान्तरकरण खुलवाया वह भी शून्य है। इसलिये अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी वादी का सम्पूर्ण वाद डिक्री किया जावे।

5. जबाब में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी ने पंजीकृत बयनामा द्वारा प्रत्यर्थी को विक्रय कर दी थी और वक्त खरीद से प्रत्यर्थीगण वादग्रस्त आराजी पर काबिज चले आ रहे हैं। अगर अपीलार्थी यह मानते हैं कि पंजीकृत बयनामा फर्जी है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में निरस्त कराने हेतु कार्यवाही करनी चाहिये थी। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने के बाद यह स्थिति स्पष्ट होती है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त सम्बत 2029 में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर469 रकबा 4बीघा 3विस्वा एवं खसरा नम्बर 229 रकबा 19 विस्वा का गैर खातेदार आवंटी अपीलार्थी जंगी सिंह अंकित है। नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2030–33 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 229 पर कब्जा काश्त जसमाल,रतना,फजरू एवं अख्तर पुत्रान रूबड तथा खसरा नम्बर 469 पर कब्जा काश्त असलमखां पुत्र जवाहरखां की दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2041–44 में खसरा नम्बर 229 में शादी,सुभान खां, असलू पुत्र मौजा मेव साकिन देह खातेदार 10 विस्वा एवं जंगी सिंह पुत्र पीरूसिंह साकिन देह खातेदार9विस्वा का दर्ज है। खसरा नम्बर 469 में शादी,सुभानखां असरू पुत्रान मौजा को 4बीघा 1 विस्वा का खातेदार तथा जंगी सिंह 2 विस्वा पर गैर खातेदार दर्ज है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी की खातेदारी की थी

जिसको उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा प्रत्यर्थीगण को बेचान किया गया है जिसका इन्तकाल दिनांक 16–9–77 को प्रत्यर्थीगण के पक्ष में तस्दीक किया गया है। अपीलार्थी का यह कथन कि बयनामा फर्जी है तो उसे सक्षम न्यायालय में चुनौती देनी चाहिये थी। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए आई आर 1999 एस सी पेज2213 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Second appeal- Relief cannot be granted merely on equitable grounds-Concurrent finding of facts however erroneous-Cannot be interfered with.
RRT 2001 page 883- Rajasthan Tenancy Act1955- Section 224readwith Section100,Code of Civil Procedure 1908-Both the lower Courts has concurrently on facts held that the plaintiff is not tenant and he has not acquired title by sale deed- Therefore in this cecond appeal unless it is found that the findigs recorded are illegal or perverse in nuture, till lthen this court cannot disturb the concureent findings recorded by the Court below as held in AIR1959S.C.page 57-Hence this second appeal was dismissed.

9. उपरोक्त विवेचन विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य